

2018/00103

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्राथी/अपीलांट

बनाम

अप्राथी/रेसपोडेन्ट


श्री बेलाराम पुत्र श्री मगारामजी
जाति मेघवाल
निवासी मोहबतनगर तहसील सिरौही
जिला सिरौही

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
एस डी एम सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं 70 वर्ष 2018

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर 11 जजरीफ जो इस हुकम की तस्वीर में आती है।
04.12.2018	<p>अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाये। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 16.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 05.12.2001 को उसके द्वारा मोहबतनगर शिविर में कब्जे भोगवटे के दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 16.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया दिनांक 05.12.2001 को उसके द्वारा मोहबतनगर शिविर में कब्जे भोगवटे प्लॉट का पट्टा बनाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एस.डी.एम. सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	


(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर, सिरौही